Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि परिचित के बैंक खाते में जमा करवाकर लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को झालावाड़ में कार्यवाही करते हुये ब्रह्मप्रकाश आर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड़ को परिवादी से 10 हजार रुपये अपने परिचित के बैंक खाते में जमा करवाकर लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के कार्यालय में अनुबंध में लगी उसकी गाड़ी के बकाया बिल पास करने की एवज में ब्रह्मप्रकाश आर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड़ द्वारा परिवादी से प्रतिमाह के हिसाब से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हर्षराज सिंह खरेड़ा व पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगडोलिया** तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये ब्रह्मप्रकाश आर्य पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी 3/266/36, विद्याधर नगर, जयपुर हाल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला झालावाड़ को परिवादी से 10 हजार रुपये अपने परिचित के बैंक खाते में जमा करवाकर लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।